This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 31 जुलाई, 2024 / 09 श्रावण, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 जुलाई, 2024

संख्या ई०डी० एन–बी–ख(7)–2 / 2019–1.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय—नई व्यवस्था, ग्रुप—बी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः——

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा विद्यालय—नई व्यवस्था, ग्रुप—बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है ।
	यह नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (शिक्षा)।

——————————

उपाबन्ध ''क''

हिमाचल प्रदेश सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय—नई व्यवस्था, ग्रुप—बी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	**पद का नाम**	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय—नई व्यवस्था (जमा एक और जमा दो के छात्रों को विषय के अध्ययन के लिए और उन्हें क्रीड़ा/शारीरिक शिक्षा क्रियाकलाप या कोचिंग का प्रबन्ध करने तथा क्लस्टर स्कूल/स्कूल परिसर सहित(सम्पूर्ण विद्यालय) विशिष्टतया (कक्षा छह से बारह) हेतु विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक, जहां वे तैनात हैं, के कर्त्तव्य का निर्वहन करने हेतु)।
2.	**पदों की संख्या**	486 (चार सौ छियासी)
3.	**वर्गीकरण**	ग्रुप—बी
4.	**वेतनमान**	**i**) नियमित पदाधारियों के लिए वेतनमान— ''हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार समयमान (टाइम स्केल) से सलंग्न पे—मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)—12''. **ii**) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाः— ''हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे—मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60% (साठ प्रतिशत)''
5.	**चयन पद अथवा अचयन पद।**	अचयन
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु**	18 से 45 वर्षः परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी

		इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पपत्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे। टिप्पणी.——सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7.	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**	**(क) अनिवार्य अर्हताएं :** i) अध्यापक शिक्षा (पहचान, मानक और प्रक्रिया) के लिए राष्ट्रीय परिषद् विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी पी एड) या शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी पी ई) अथवा विज्ञान स्नातक (बी एस ई) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में और खेलों में उपाधि। अथवा अधिसूचित 10—12—2007 को अध्यापक शिक्षा (पहचान मानक और प्रक्रिया) के लिए राष्ट्रीय परिषद् विनियम, 2007 के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी पी एड उपाधि या बी पी एड (एकीकृत) में चार वर्षीय व्यावसायिक उपाधि। अथवा 13—11—2002 को अधिसूचित अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद् विनियम, 2002 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ बी पी एड या कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 3 वर्षीय अवधि का बीपीएड कोर्स पाठ्यक्रम। और

		ii) अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद् या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम पी एड या कम से कम दो वर्षीय अवधि का शारीरिक शिक्षा में कला निष्णात। **(ख) वांछनीय अर्हताः** हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों / रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता :–– नोट(1).—कोई अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, यदि उसने हिमाचल प्रदेश के भीतर अवस्थित किसी भी स्कूल / संस्थान से (दसवीं) और दस जमा दो उतीर्ण किया होः परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी।
8.	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	आयुः लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं। हाँ
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**सीधी भर्ती / प्रोन्नति** (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे। (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी। **प्रोन्नतिः** लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धतिः सीधी होगी प्रोन्नति / सैकेण्डमैट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः**	1) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। 2) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
11.	**प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा।**	कार्यरत डी. पी. ई. में से प्रोन्नति द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या **7** के अनुसार शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः (I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात / स्थानान्तरित

के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियो/कर्मचारियों को, जिन्होंने जन जातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (कॉडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–Iः उपरोक्त परन्तुक (I) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण–IIः उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

1. राज्य में समस्त जनजातीय क्षेत्र
2. चम्बा जिला का चुराह एवं मेहला खण्ड (ब्लॉक)
3. रामपुर उप–मण्डल का 15/20, 18/20, 12/20 क्षेत्रों के अन्तर्गत कुकी, दरकली, मुनीष, काशापाट पंचायत, जिला शिमला ।
4. जिला शिमला के उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
5. जिला शिमला के रोहडू उप–मण्डल के छोहारा खण्ड (ब्लॉक) की जावल, खाबल पेखा तांगनू, जांगलिक, दिउड़ी, मायला, सिंदासली, धगोली, रोहल, रानोल, खरशाली, गांवशारी, डिसवानी, ढाकगांव पंचायतें।
6. जिला शिमला की कुपवी उप–तहसील
7. कांगड़ा जिला की छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल क्षेत्र सिरमौर जिला की शिलाई और संगड़ाह तहसीलें।
8. जिला सिरमौर में तहसील नौहराधार के चरना पटवार वृत्त और ददाहु तहसील के खाला क्यार, भाटगढ़, कोटिधिमान और जराग के पटवार वृत्त ।
9. जिला मण्डी का चौहार घाटी

स्पष्टीकरण–IIIः उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

(i) उप–मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.——अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना।	विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समितिः जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और / या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15–(क)	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः– **i) संकल्पनाः** (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, उच्चतर शिक्षा विभाग में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय–नई व्यवस्था को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा : परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरण / विस्तारण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी। (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एच.पी.पी.एस.सी) के कार्यक्षेत्र में आना : निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला या अन्य भर्ती अभिकरण / प्रधिकरण जैसी सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। **(II) संविदात्मक उपलब्धियांः** संविदा पर नियुक्त प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय–नई व्यवस्था को रुपए 25800 / – की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे–मैट्रिक्स के लागू

		लेवल के प्रथम कोष्ठ के साठ प्रतिशत के बराबर होगा) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। **(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारीः** निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा । **(IV) चयन प्रक्रियाः** संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण और / या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण जैसी सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए द्वारा अवधारित किया जाएगा । **(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः** हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों के लिए जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला द्वारा समय–समय पर गठित की जाए। **(VI) करारः** अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। **(VII) निबन्धन और शर्तेंः** (क) संविदा के आधार पर नियुक्त प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय–नई व्यवस्था को 25,800 / – रुपये की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे–मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के साठ प्रतिशत के बराबर होगा) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन

का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र जारी करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदाधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी

		रुप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति का तक तब प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी। (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ०आर०, एस०आर०, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
16.	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षाः	लागू नहीं।
18.	**शिथिल करने की शक्तिः**	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबंध–ख

प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय–नई व्यवस्था और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमती.................................. पुत्र / पुत्री श्री.................................. निवासी................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक, उच्चतर शिक्षा (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) संस्थान का प्रमुख अर्थात आचार्य, प्रधानाचार्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय–नई व्यवस्था के रूप में ....से प्रारम्भ होने और................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों

द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात........................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा विद्यालय–नई व्यवस्था को समेकित नियत संविदात्मक रकम 25800 / –रुपये, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधिन वेतनमान) के अधीन पे–मेट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगी, संदत्त की जाएगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्ति पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि

उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त समझी जाएगी और उसकी नियुक्ति को तब–तब आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई०पी०एफ / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

(नाम व पूरा पता)

1............................

....

....

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

(नाम व पूरा पता)

2 ....

....

....

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-B-Kha(7)-2/2019-I, dated 27-07-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 27th July, 2024

No. EDN-B-Kha(7)-2/2019-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the

Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Lecturer Physical Education (School New) Group-B in the Department of Higher Education, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Lecturer Physical Education (School New) Group-B Recruitment and Promotion Rules, 2024.
	(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette)Himachal Pradesh.

By orders,

Secretary (Education).

Annexure- "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LECTURER PHYSICAL EDUCATION (SCHOOL-NEW) GROUP-B IN THE DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION HP GOVERNMENT.

1.	**Name of the post**	Lecturer Physical Education (School-New) (For teaching the subject to students of +1 and +2 and to organize Sports/Physical Education activities/Coaching and to perform the role of the Physical Education Teacher in the schools where they are posted for entire school (Particularly Class 6th to Class 12th) including the cluster schools/school complex).
2.	**Number of post(s)**	486 (four Hundred Eighty Six)
3.	**Classification**	Group-B
4.	**Scale of Pay**	i) Pay Scale for Regular incumbent(s): "Level 12 of Pay Matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022". ii) Emoluments for contract employees: "60% of the first cell of the applicable level of Pay Matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
5.	**Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.**	Non-Selection
6.	**Age for direct recruitment**	18 to 45 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit

		by virtue of his/her such adhoc or contract appointment : Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes /Other Categores of persons to the extent permissible under general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government. Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/ Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not however be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies. **Note.—** Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7.	**Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):**	**(a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS** i) Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or Bachelor of Physical Education (BPE) or Bachelor of Science (B.Sc.) in Health and Physical Education and Degree in Sports with atleast 55% marks as per National council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009. Or Atleast 50% marks in the B.P.Ed. degree/B.P.Ed. (Integrated) 4 years professional degree in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007 notified on 10-12-2007. Or B.P.Ed. with atleast 55% marks or B.P.E. Course of 3 years duration with atleast 50% marks in

		accordance with the National Council for Teacher Education Regulations, 2002 notified on 13-11-2002. AND ii) M.P.Ed./M.A. Physical Edu. of at least 2 years duration from any National Council for Teacher Education recognized institution. **(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS** Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. **Note(1).**—A candidate shall be eligible for appointment to Class-III post(s), if he/she has passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh: Provided this condition shall not apply to Bonafide Hamachalis.
8.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):**	*Age: Not applicable* *Educational Qualifications: Yes*
9.	**Period of probation, if any**	**Direct Recruitment/Promotion:** a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption. **Promotion**: Not applicable
10.	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.**	1. 50% by Direct recruitment on regular basis or on contract basis, as the case may be. 2. 50% by promotion
11.	**In case of recruitment by promotion /secondment /transfer grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.**	By promotion from amongst in-service DPEs possessing the educational qualification as per column No.7 above, with at least five years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade :

			(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas: Provided further that for the proviso (I) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion: Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. **EXPLANATION I.**—For the purpose of proviso (I) *supra* the "terms" in Tribal/Difficult/Hard Areas/Remote/Rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience. **EXPLANATION II.**—For the purpose of proviso (I) *supra* the Tribal/Difficult Areas shall be as under:— 1. All Tribal areas in the State 2. Churah and Mehla Blocks of Chamba District. 3. 15/20,18/20,12/20 areas of Rampur Sub Division including Kuki, Darkali, Munish, Kashapat Panchayat, District Shimla. 4. Dodra Kawar Sub-Division of District Shimla. 5. Jabal, Khabal Pekha, Tangnu, Janglik, Diudi, Mayla, Sindasli, Dhagoli, Rohal, Ranol, Kharshali, Gaonsari, Diswani, Dhakgaon Panchayats of Chhohara Block of Rohru Sub-Division, District Shimla. 6. Sub-Tehsil Kupvi of District Shimla 7. Chhota Bhangal and Bara Bhangal areas of Kangra District. 8. Shillai and Sangrah Tehsils of Sirmaur District. 9. Patwar Circle Charana of Tehsil Nohradhar and Patwar Circles: Khala Kyar, Bhatgarh, Koti Dhiman and Jarag of Tehsil Dadahu, District Sirmaur. 10. Chuhar Ghati of District Mandi **Explanation III.**—For the purpose of proviso (1) *Supra* the Remote/Rural Areas shall be as under:—

		i) All stations beyond the radius of 20 Kms. / from Sub-Division Tehsil headquarter. ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms. iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category. (II) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* services rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules: Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. **Explanation.**—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized

		Armed Force Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of services, if the *adhoc* appointment/promotion has been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules: Provided that *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered shall remain unchanged.
12.	**If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?**	Departmental Confirmation Committee/Departmental Promotion Committee: As may be constituted by the Government from time to time.
13.	**Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment .**	As required under the law
14.	**Essential requirement for a direct recruitment .**	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	**Selection for appointment to post by direct recruitment.**	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determine by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.
15-A	**Selection for appointment to the post by Contract appointment.**	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:— **(I) CONCEPT:** (a) Under this policy the Lecturer Physical Education

		(School-New) in the Department of Higher Education, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis: Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended. (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.P.S.C.: The Director of Higher Education, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission Shimla or other recruiting agency/authority, as may be decided by the Govt. (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules. **(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :** The *Lecturer Physical Education (School-New)* appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.25800/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre). **(III)APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:** The Director of Higher Education Department, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority. **(IV) SELECTION PROCESS:** Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determine by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as may be decided by the Govt. **(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS :**

		FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission Shimla from time to time. **(VI) AGREEMENT :** After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules. **(VII) TERMS AND CONDITIONS** : (a) The *Lecturer Physical Education (School-New)* appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.25800/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of Pay Matrix of the corresponding cadre). (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date of which a copy of termination orders is delivered to him/her. (c) The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and

		special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year. (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty: Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against post(s) carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if

		required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16.	**Reservation.**	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	**Departmental Examination.**	Not applicable
18.	**Power to relax.**	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission Shimla, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-B

Form of contract/ agreement to be executed between the *Lecturer Physical Education (School-New)* and the Government of Himachal Pradesh through Director of Higher Education. (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this____________________day of_____________in the year___________ between Sh./Smt…………..s/o d/o Shri__________ r/o_________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Higher Education (Designation of the Appointing Authority)/ Head of the Institution *i.e.* Principal/Headmaster (here-in-.after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Lecturer Physical Education (School-New) on contract basis on the following terms & conditions:.

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a *Lecturer Physical Education (School-New)* for a period of 1 year commencing on day of_________and ending on the day of……………….It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso.facto stand terminated on the last working day *i.e.* on__________________ and information/ notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The Lecturer Physical Education (School-New) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.25800/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date of which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against post(s) carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical

fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Name and Full Address)

1. ________________________
____
____

2. ________________________
____
____

(Signature of the FIRST PARTY)

(Name and Full Address)

1. ________________________
____
____

2. ________________________
____
____

(Signature of the SECOND PARTY)

GOVERNOR'S SECRETARIAT
Raj Bhavan, Shimla

ORDER

Dated the 31st July, 2024

No. 42-2/78-GS.—In view of the superannuation of Dr. D.K. Vatsa, Pr. Agricultural Engineer, COA, Palampur, on 31st July, 2024, holding the addition charge of Vice-Chancellor of the CSK HPKV, Palampur and in exercise of powers conferred upon me by Sub-Section (5) of Section 24 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act,

1986 (Act No. 4 of 1987) as amended upto date, I, Shiv Pratap Shukla, Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur hereby direct Dr. Naveen Kumar, Pr. Agronomist, Deptt. of Agronomy, CSK HPKV, Palampur [Holding the charge of DEE (Director Extension)] to hold the charge of the post of Vice-Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur in addition to his own duties till further orders or till the new Vice-Chancellor is appointed, whichever is earlier, with immediate effect.

The other terms and conditions of the service applicable to him will be as laid down in the Statute 3.1(1) of the Statutes of Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur.

By order,

Sd/-
(SHIV PRATAP SHUKLA),
Governor (Chancellor),
Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh,
Krishi Vishvavidyalaya, Palampur.

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Mahinder Singh aged 31 years s/o Sh. Raj Singh, r/o Village Janain, P.O. Samtana, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) Presently c/o Rakesh Rani Verma w/o Surinder Singh Verma, r/o H.No. 421, W. No. 1, Near Degree College, Hamirpur, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Anu Kumari aged 31 years d/o Sh. Krishan Lal, r/o W.No. 3, VPO Ropari, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of Registration of Marriage.

Sh. Mahinder Singh & Anu Kumari have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned stating therein that thier marriage ceremony has been performed between them at Shiv Narayan Mandir, Hamirpur, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) on 22-06-2024 according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 27-08-2024. In case no objection is received by 27-08-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-07-2024.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni , HPAS, Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Akshay Kumar aged 29 years s/o Sh. Madan Lal, r/o Village Harned, P.O. Bafrin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Laxmi Thakur w/o Sh. Akshay Kumar, r/o Village Harned, P.O. Bafrin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) presently residing d/o Sh. Jhave Ram, r/o Village Tandi, P.O. Shilli Bagi, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Akshay Kumar & Laxmi Thakur have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned, stating therein that their marriage ceremony has been performed between them on 30-04-2024 at Shiv Parvati Mandir at Bafrin, P.O. Bafrin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 02-09-2024. In case no objection is received by 02-09-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-07-2024.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni , HPAS, Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Rajat Sharma s/o Sh. Ram Nath Sharma, r/o H.No. 124, W. No. 8, Naya Nagar, Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Tanya Awasthi d/o Sanjeev Kumar Awasthi, r/o Housing Board Colony, Palampur (T), Bindravan, District Kangra (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Rajat Sharma & Tanya Awasthi have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned, stating therein that their marriage ceremony has been performed on 22-07-2024 at Chamunda Devi Mata Temple, Palampur, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 24-08-2024. In case no objection is received by 24-08-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-07-2024.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of:

1. Mr. Ram Krishan Sharma age 86 years s/o Sh. Lachhman Ram, r/o Village & P.O. Kanoh, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Rita Sharma age 77 years d/o Late Sh. Amar Nath Bhasin, r/o Pushpa Bhawan, A-353, Sangam Vihar, South Delhi ..*Appellants.*

Versus

General Public

Subject.—Notice of Marriage.

Mr. Ram Krishan Sharma & Ms. Rita Sharma have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in this court of undersigned in which they have stated that they solemnized their marriage ceremony on dated 13-12-2023 as per Hindu Rites and Customs at Arya Samaj Viashvik Hindu Marriage Trust Temple at 591/22-B, Nakul Gali, Vishwas Nagar, Delhi.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 23-08-2024. In case no objection is received by 23-08-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-07-2024.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of:

1. Mr. Kuldeep Sharma age 37 years s/o Sh. Prithvi Chand Sharma, r/o Village Usnar Kalan, P.O. Nara, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Peeyushi Sharma age 35 years d/o Sh. Devender, r/o Gali No. 02, T-563, D4A, Baljeet Nagar, Shadipur, Delhi ..*Appellants.*

Versus

General Public

Subject.—Notice of Marriage.

Mr. Kuldeep Sharma & Ms. Peeyushi Sharma have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in this court of undersigned in which they have stated that they solemnized their marriage on dated 08-12-2022 as per Hindu Rites and Customs at Arya Samaj Mandir at Modi Nagar, Gaziabad (U.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 23-08-2024. In case no objection is received by 23-08-2024, it will be

presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-07-2024.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Anjna Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Anjna Devi d/o Sh. Sunder Singh presently w/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village Samaila, P.O. Maharal, Tappa & Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth in the relevant birth register of Gram Panchayat Samaila, Distt. Hamirpur (H.P.). To justify the contents of the application, the applicant has submitted her affidavit, two witneses affidavits, Form No. 10 from CMO Office, Hamirpur and certificate of G.P.S. Samaila showing the date of birth which is 06-06-1980.

General public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding the date of birth of the Anjna Devi which is 06-06-1980 in Gram Panchayat record Samaila they can file their objections either in writing or through their counsel within a period of thirty days from the date of issue of this notice, if no objection is received from any person regarding the date of birth which is 06-06-1980 the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 25-07-2024.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of (Aprajita Chandel, HPAS), Sub-Divisional Magistrate Exercising the Powers of Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Lucky s/o Sh. Tara Singh, r/o Vill. Baloh, P.O. Panyali, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Suman d/o Mahesh Singh, r/o Village Kevelari, P.O. Bondar Mal, Tehsil & Distt. Dindori, Madhya Pradesh.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 22-07-2024 at Shiv Mahadev Mandir, Putriyala, P.O. Kohala, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 30-08-2024 at 11.00 A.M. The objections after 30-08-2024 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered according as per law prescribed.

Issued on this day 23-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(APRAJITA CHANDEL, HPAS),
Sub-Divisional Magistrate-cum-
Marriage Officer,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Arun Kumar aged 33 years s/o Sh. Sant Ram, r/o Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Naina aged 26 years d/o Sh. Vijay Kumar, r/o 1372, Kaith Majri, Near Subji Mandi, Ambala City, Ambala, Haryana . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Arun Kumar aged 33 years s/o Sh. Sant Ram, r/o Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Naina aged 26 years d/o Sh. Vijay Kumar, r/o 1372, Kaith Majri, Near Subji Mandi, Ambala City, Ambala, Haryana have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-08-2024. The objections received after 28-08-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

(DR. ROHIT SHARMA, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Salinder Singh aged 39 years s/o Sh. Amin Chand, r/o Village Duhak, Joggi Mohalla, P.O. Chauri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Deepa Kumari aged 38 years d/o Sh. Uttam Chand, Village Jharanthee, P.O. Janjehli, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Salinder Singh aged 39 years s/o Sh. Amin Chand, r/o Village Duhak, Joggi Mohalla, P.O. Chauri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Deepa Kumari aged 38 years d/o Sh. Uttam Chand, Village Jharanthee, P.O. Janjehli, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 03-07-2024 at Shiv Shakti Mandir, Ward No. 6, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this

court on or before 08-08-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(DR. ROHIT SHARMA, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Vikram Chand aged 32 years s/o Sh. Raffo Ram, r/o Village & P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Savita Ghosh aged 27 years d/o Late Sh. Sunil Ghosh Malra, r/o House No. 6, Near BD Global School, Sector 57, Gurgaon (Haryana) . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Vikram Chand aged 32 years s/o Sh. Raffo Ram, r/o Village & P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Savita Ghosh aged 27 years d/o Late Sh. Sunil Ghosh Malra, r/o House No. 6, Near BD Global School, Sector 57, Gurgaon (Haryana) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 19-11-2023 at Murli Manohar Mandir, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 21-08-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(DR. ROHIT SHARMA, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Vijay Kumar aged 45 years s/o Sh. Tulsi Ram, r/o Village Bagehra Buhla, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Rajni aged 43 years d/o Late Sh. Krishan Lal Malra, r/o Ward No. 11, House No. 258, Burj Wala Mohalla, P.O. & Tehsil Morinda, District Roop Nagar, Punjab . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Vijay Kumar aged 45 years Sh. Tulsi Ram, r/o Village Bagehra Buhla, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Rajni aged 43 years d/o Late Sh. Krishan Lal Malra, r/o Ward No. 11, House No. 258, Burj Wala Mohalla, P.O. & Tehsil Morinda, District Roop Nagar, Punjab have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 26-07-2012 at Olympic Palace Madouli, District Roop Nagar, Punjab as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-08-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
(DR. ROHIT SHARMA, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Santosh Kumar aged 32 years s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Doli P.O. Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Jasvir Kaur aged 29 years d/o Sh. Chet Singh, Village & P.O. Kahangarh Mansa, Punjab . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Santosh Kumar aged 32 years s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Doli P.O. Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Jasvir Kaur aged 29 years d/o Sh. Chet Singh, Village & P.O. Kahangarh Mansa, Punjab have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-08-2024. The objection received after 28-08-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

(DR. ROHIT SHARMA, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Vijay Kumar aged 29 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Dhamriana, P.O. Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Anamika aged 20 years d/o Sh. Shyam Lal, r/o 2670/3, CHB Small Flats, Sector 49-C VTC Chandigarh, P.O. Sector 47, Sub-District Chandigarh, District Chandigarh . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Vijay Kumar aged 29 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Dhamriana, P.O. Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Anamika aged 20 years d/o Sh. Shyam Lal, r/o 2670/3, CHB

Small Flats, Sector 49-C VTC Chandigarh, P.O. Sector 47, Sub-District Chandigarh, District Chandigarh have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-08-2024. The objection received after 20-08-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

(DR. ROHIT SHARMA, H.A.S.),

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*

Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

निशा देवी पुत्री श्री ईशवर दास, निवासी मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

निशा देवी पुत्री श्री ईशवर दास, निवासी मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म दिनांक 13–04–1977 को घर गांव मझेरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06–07–2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर / एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

सीमा देवी पुत्री श्री शेर सिंह, निवासी कंजराड, डा0 सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सीमा देवी पुत्री श्री शेर सिंह, निवासी कंजराड, डा0 सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म दिनांक 01–01–1982 को घर गांव कंजराड, डा0 सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06–07–2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर / एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री चैन राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172 104

सुजाता कुमारी पुत्री श्री बल बहादुर, निवासी चगाव, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चगाव में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया सुजाता कुमारी पुत्री श्री बल बहादुर, निवासी चगाव, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत चगाव, तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगाव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया का जन्म दिनांक 03–04–1983 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत चगाव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 03–04–1983 को ग्राम पंचायत चगाव में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24—07—2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24—06—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

लफन सुख पुत्र सेम्वा सुख, निवासी गांव व डा0 रामनी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनी में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी लफन सुख पुत्र सेम्वा सुख, निवासी गांव व डा0 रामनी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत रामनी, तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत रामनी के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी का जन्म दिनांक 01—07—1964 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत रामनी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01—07—1964 को ग्राम पंचायत रामनी में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24—07—2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24—06—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172 104

संज्ञा मनी पुत्री श्री मालपुर, निवासी जानीं, डा0 रामनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनी में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया संज्ञा मनी पुत्री श्री मालपुर, निवासी जानीं, डा0 रामनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत रामनी, तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत रामनी के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01–07–1965 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत रामनी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–07–1965 को ग्राम पंचायत रामनी में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24–07–2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री चैन राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172 104

सुनील कुमार पुत्र स्व0 पाल सिंह, निवासी जानीं, डा0 रामनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनी में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी सुनील कुमार पुत्र स्व0 पाल सिंह, निवासी जानीं, डा0 रामनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत रामनी, तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत रामनी के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत सुनील कुमार ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी का जन्म दिनांक 08–06–1986 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत रामनी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 08–06–1986 को ग्राम पंचायत रामनी में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24–07–2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172 104

हस राज पुत्र रत्न वीर, निवासी रामनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनी में मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी हस राज पुत्र रत्न वीर, निवासी गांव व डा0 रामनी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत रामनी, तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने अपने पिता रत्न वीर पुत्र मुकर सिंह की मृत्यु तिथि 12–09–2007 को ग्राम पंचायत रामनी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामनी के रिकार्ड में रत्न वीर पुत्र मुकर सिंह की मृत्यु तिथि 12–09–2007 दर्ज किए जाने में किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी दिनांक 27–07–2024 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर/एतराज पेश नहीं हुआ तो रत्नवीर पुत्र मुकर सिंह की मृत्यु तिथि 12–09–2007 को ग्राम पंचायत रामनी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 27—06—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

विरेन्दर सिंह पुत्र जगदीश चन्द, निवासी रामनी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनी में मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी विरेन्दर सिंह पुत्र जगदीश चन्द, निवासी गांव व डा0 रामनी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत रामनी, तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने अपनी माता सैमकिद पत्नी जगदीश चन्द की मृत्यु तिथि 16—04—2019 को ग्राम पंचायत रामनी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामनी के रिकार्ड में सैमकिद पत्नी जगदीश चन्द की मृत्यु तिथि 16—04—2019 दर्ज किए जाने में किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी दिनांक 27—07—2024 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर एतराज पेश नहीं हुआ तो सैमकिद पत्नी जगदीश चन्द की मृत्यु तिथि 16—04—2019 को ग्राम पंचायत रामनी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 27—06—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

विधा सागर पुत्र जय पाल सिंह, निवासी जानीं, डा0 रामनी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनी में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी विधा सागर पुत्र जय पाल सिंह, निवासी जानीं, डा0 रामनी, उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत रामनी, तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत रामनी के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत विधा सागर ने अपने पुत्र का जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी के पुत्र सुधाशु नेगी का जन्म दिनांक 31—07—2008 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत रामनी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसके पुत्र सुधाशु नेगी का जन्म दिनांक 31—07—2008 को ग्राम पंचायत रामनी में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पुत्र का जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27—07—2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 27—07—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री देविन्द्र रापटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, मूरंग, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

श्रीमती कोनचन डोलमा पुत्री श्री छेतन राम, निवासी ग्राम व डा0 लिप्पा, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.——पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारे।

श्रीमती कोनचन डोलमा पुत्री श्री छेतन राम, निवासी ग्राम व डा0 लिप्पा, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिया का जन्म 10—04—1980 को हुआ था मगर पंचायत अभिलेख लिप्पा में किसी कारणवश पंजीकृत नहीं हुआ है। अतः श्रीमती कोनचन डोलमा की जन्म तिथि 10—04—1980 को पंचायत अभिलेख लिप्पा में पंजीकृत करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती कोनचन डोलमा की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख लिप्पा में पंजीकृत करने पर किसी किस्म का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24—07—2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर व

एतराज पेश कर सकता है अन्यथा नियमानुसार श्रीमती कोनचन डोलमा का जन्म 10—04—1980 को पंचायत अभिलेख लिप्पा में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25—06—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
मूरंग, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

CHANGE OF NAME

I, Vishal Kaushal aged 44 years s/o Sh. Ravinder Kumar, r/o Ward No. 1, Nagrota Bagwan, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my son's name from Vrishabh Kumar Kaushal to Vrishank Kaushal. In future my son may be known by his new name Vrishank Kaushal. All concerned may please note.

VISHAL KAUSHAL
s/o Sh. Ravinder Kumar,
r/o Ward No. 1, Nagrota Bagwan,
Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

————————

CHANGE OF NAME

Raja Bibi w/o Mam Husain, VPO Segli, Tehsil Kataula, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 8610 9492 0121 my name Beena wrongly entered. Correct name is Raja Bibi.

RAJA BIBI
w/o Mam Husain,
VPO Segli, Tehsil Kataula,
Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Roshani Devi w/o Harnam Singh, r/o Village Tihri, P.O. Kalol, Sub-Tehsil Kalol, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Meeran Devi to Roshani Devi. Both the name Roshani Devi and Meeran Devi belong to same person. All concerned note.

ROSHANI DEVI
w/o Harnam Singh,
r/o Village Tihri, P.O. Kalol, Sub-Tehsil Kalol,
Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Chaman Lal s/o Mana Ram, VPO Pehad, Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 3144 9267 5776 my name Chandu Ram wrongly entered. Correct name is Chaman Lal.

CHAMAN LAL
s/o Mana Ram,
VPO Pehad, Tehsil Mandap,
Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kalan Devi w/o Sh. Hari Chand, r/o Vill. Uperli Beri (41), P.O. Kothwan, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have change my name from Kala Devi to Kalan Devi for all purposes in future. Please note.

KALAN DEVI
w/o Sh. Hari Chand,
r/o Vill. Uperli Beri (41) P.O. Kothwan,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).